

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/04/उपा/धार/नगानि/2015 भोपाल,

दिनांक:- /04/2018

1. कलेक्टर,
जिला धार (म.प्र.)।
2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला धार (म.प्र.)।
4. आयुक्त,
नगर पालिका परिषद (म.प्र.)।
जिला धार (म.प्र.)।

विषय:- धार विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत (ग्राम- जैतपुरा, खसरा क्रमांक- 86, 88, 89)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा धारा विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

दिनांक:- 24/04/2018

पृ. क्रमांक 2241 /टीसी/04/उपा/धार/नगानि/2015 भोपाल,
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर शासन के पत्र क्रमांक एफ-3/10/2015/18-5, दिनांक 31.05.2017 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अद्योषित।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

AB10
3/4/2018

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 24 /04/2018

क्रमांक 2238 04/उपां/टीसी/धार/2015 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट धार विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	जैतपुरा	86 88 89	2.568	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		योग:-	2.568 हेक्टेयर		

नोट:- 1. माण्डव लिंक मार्ग के मध्य से 15.00 मीटर मार्ग भूमि विस्तार हेतु छोडना होगा।

2. स्थल से गुजरने वाले 24.00 मीटर चौड़े मार्गों हेतु भूमि सुरक्षित रखना होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(स्वाति श्रीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh

Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

Notice

Bhopal, Dated. 24/04/2018

No. 2238 04/CL/TC/Dhar/2015 - In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Dhar Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Khasra No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Jaitpura	86 88 89	2.568	Public and Semi Public and Road	Residential and Road
		Total:-	2.568 Ha		

Note:- 1. 15.0 meter land shall be left for widening of Mandav link road.

2. Land shall be reserved for 24.0 meter wide roads passing through the site.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District Indore as well as on the web site. www.mptownplan.gov.in for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Joint Director Town and Country Planning, District office Indore, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director.

(Swati Meena Naik)

Director

Town and Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal